राजस्थान सरकार
निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाऐं

क्रमांक एफ 15(26)विधि/अधिनस्थ/आईसीडीएस/14/102189 जयपुर, दिनांक 8.12.14

परिपत्र

निदेशालय के ध्यान में आया है कि माननीय न्यायालय से प्राप्त आदेश/निर्णय की पालना कपितय अधिकारियों द्वारा बिना निदेशालय की अनुमति /परीक्षण करवाये ही सीधे ही अपने स्तर पर अथवा जिला स्तर पर उपनिदेशकों से अनुमति प्राप्त कर दी जाती हैं जबकि माननीय न्यायालय के द्वारा पारित किसी भी प्रकार के आदेश /निर्देश /निर्णय का परीक्षण निदेशालय की विधि शाखा से करवाया जाना आवश्यक होता हैं। ऐसा नहीं करने से माननीय न्यायालय से प्राप्त आदेश/निर्णय की युक्तियुक्त रूप से नियत अवधि में पालना नहीं हो पाती हैं।

अतः समस्त अधिनस्थ अधिकारियों को निर्देशित किया जाता हैं कि माननीय न्यायालय के द्वारा पारित किसी भी प्रकार के आदेश /निर्देश /निर्णय का निदेशालय की विधि शाखा से परीक्षण आवश्यक रूप से करवाया जाकर ही माननीय न्यायालय से प्राप्त आदेश/निर्णय की युक्तियुक्त रूप से नियत समय अवधि में पालना की जावें अन्यथा आदेश/निर्णय की युक्तियुक्त रूप से नियत समय अवधि में पालना नहीं होने व आदेशों' की अवहेलना होने पर संबधित अधिकारी की व्यक्तिगत जबावदेही होगी।

(डॉ पृथ्वी)
निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव
समेकित बाल विकास सेवाऐं
राजस्थान जयपुर

क्रमांक एफ 15(26)विधि/अधिनस्थ/आईसीडीएस/14/102189-537 जयपुर, दिनांक 8.12.14
प्रतिलिपी :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. समस्त अधिकारीगण मुख्यालय/उप निदेशक/बाल विकास परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त निर्देशों की अक्षरशः पालना करना सुनिश्चित करे।
2. उप निदेशक एवं एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर स्थाई रूप से अपलोड करने हेतु प्रेषित है।
3. रक्षित पत्रावली।

(त्रिभुवनपति)
अतिरिक्त निदेशक (शिशु)
समेकित बाल विकास सेवाऐं
राजस्थान, जयपुर